प्रकरण संख्या 25/2024 तेजशंकर व अन्य बनाम प्रेमशंकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीण्डर में आराजी नंबर 8867/2811 रकबा 0.0900 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है, जिसमें विपक्षी का कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि पर विपक्षी को विवादित भूमि आपसी भाई बंटवारे से प्राप्त हुई है तथा उसका कब्जा 83 वर्षो से चला आ रहा है, प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 22.07.2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार पक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक मौके व यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा दिनांक 12.08.2024 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कथित निर्णय पारित किया है, जबकि काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान नहीं है, बावजूद इसके [illegible] न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार को भी मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द कर दिया है, जो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:29 IST
Reason: SelfAttested

विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह स्वीकृति स्थिति है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना कब्जा होने का कथन करता है, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार को भी मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया है, जबकि विधि अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 19/2022 निर्णय दिनांक 22.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी को मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:29 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:29 IST
Reason: SelfAttested